

Seventeenth Series, Vol. XII No. 9

Friday, July 30, 2021
Sravana 8, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi

Srivilasa Pandey

Joint Director

Sunita Arora

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 09, Friday, July 30, 2021/Sravana 8, 1943 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos.161 to 165	9-26
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.166 to 180	27-125
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	126-782

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 784-788

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 789

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

23rd Report 790

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

Ist to 3rd Reports 790

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 344th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

Dr. Jitendra Singh 791

BUSINESS OF THE HOUSE 792-793

GOVERNMENT BILLS- Introduced

(i) Commission for Air Quality Management 794

in National Capital Region and Adjoining Areas
Bill, 2021

(ii) General Insurance Business (Nationalisation) 796-801

Amendment Bill, 2021

**STATEMENT RE : COMMISSION FOR AIR QUALITY
MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND
ADJOINING AREAS ORDINANCE, 2021** 795

MATTERS UNDER RULE 377

802-818

- (i) Regarding Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana in Udaipur Lok Sabha Constituency, Rajasthan

Shri Arjunlal Meena

802

- (ii) Need to transfer 'Asthi Kalash' of Lord Buddha from National Museum, Delhi to National Museum, Kapilvastu in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also set up a Meditation centre at Kapilvastu for Buddhist pilgrims

Shri Jagdambika Pal

803-804

- (iii) Regarding supply of 'Chana' to Aanganwadi Centres in Rajasthan

Shri Ramcharan Bohra

805

- (iv) Regarding setting up of saline water treatment plant in Balasore, Odisha

Shri Pratap Chandra Sarangi

806

- (v) Need to start operation of COT plant set up in Malajkhand in Balaghat district, Madhya Pradesh

Dr. Dhal Singh Bisen

807

- (vi) Regarding certain colonies of Delhi facing the threat of demolition

Shri Ramesh Bidhuri

808-809

- (vii) Regarding development of Ambala as a warehousing hub

Shri Rattan Lal Kataria

810-811

- (viii) Need to shift headquarters of National Mineral Development Corporation Limited from Hyderabad to Bastar in Chhattisgarh
Shri Deepak Baij 812
- (ix) Regarding provision of FTTH connections for online classes in Attappadi, Palakkad district in Kerala
Shri V.K. Sreekandan 813
- (x) Regarding expediting Tindivanam-Tiruvannamalai new broad gauge railway line project work
Shri C.N. Annadurai 814
- (xi) Regarding building up of Dedicated Freight Corridor (DFC) between Kharaghpur (West Bengal) and Vijayawada in Andhra Pradesh
Shrimati Chinta Anuradha 815-816
- (xii) Regarding ameliorating the condition of Anganwadi workers
Shri Bhartruhari Mahtab 817
- (xiii) Regarding railway services in Shravasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Ramshiromani Verma 818

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	804
Member-wise Index to Unstarred Questions	805-811

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	812
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	813

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 30, 2021/Sravana 8, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी एक छोटी-सी बात है, पर माइक ऑन नहीं है।

सर, शुरू के दिन से ही हम विपक्ष की तरफ से यह मांग करते आ रहे हैं कि सदन के अन्दर पेगासस जासूसी कांड की चर्चा हो।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

... (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उसी के साथ-साथ किसान का मुद्दा है, कोविड-19 का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है।... (व्यवधान) इसमें कोई असुविधा नहीं है।... (व्यवधान) हम सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार को इस तरह के अपने रुख को बदलना चाहिए।... (व्यवधान) सदन में हम चर्चा चाहते हैं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can raise it after Question Hour.

... (Interruptions)

11.01 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

11.02 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No. 161, Dr. Alok Kumar Suman.

(Q.161)

डॉ. आलोक कुमार सुमन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों की संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए जमीनी स्तर पर अनेक प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ।... (व्यवधान) इसका लाभ हमारे गोपालगंज जिले को और पूरे बिहार राज्य को मिल रहा है ।... (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के तहत बिहार राज्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.83 लाख रुपये एवं वर्ष 2019-20 में 48.62 लाख रुपये एवं वर्ष 2020-21 में शून्य सहायता दी गई ।... (व्यवधान) वर्ष 2020-21 में जो शून्य सहायता दी गई है, इसका क्या कारण है?... (व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टेट का शेयर तभी जाता है, जब भारत सरकार के पास यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आते हैं, किन्तु साथ ही, जैसा कि जवाब में इंगित है, इस स्कीम को इस वित्तीय वर्ष में समाप्त कर आपकी ही उपस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने 'मिशन शक्ति' को प्रेषित किया है ।... (व्यवधान) इसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे ।...

(व्यवधान) महिला शक्ति केन्द्र से उत्पन्न हुई चुनौतियों का समाधान इस 'मिशन शक्ति' के अन्तर्गत हम करना चाहेंगे ।... (व्यवधान)

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वे उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम 'जीविका' का है ।... (व्यवधान) यह एक पूरा कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं ।... (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष अभिनन्दन देती हूँ कि बीस लाख रुपये तक के कोलैटरल-फ्री लोन्स के माध्यम से, देश के 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में सात करोड़ महिलाओं को समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है ।... (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के तहत 'मिशन पोषण 2.0' से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं व ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है?... (व्यवधान) डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस या सेन्टर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है जबकि पूरे देश में 22.9 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं?... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का प्रश्न महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला शक्ति केन्द्र के बारे में है ।... (व्यवधान) साथ ही उन्होंने नारी अदालत और पोषण-2 के संदर्भ में भी सवाल पूछा है । पोषण-2 हाल ही के बजट में प्रनाउन्स हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार और राष्ट्र भर के हर जिले में आँगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग महिला और साथ ही बच्चों की न्यूट्रिशियन सपोर्ट की व्यवस्था की गई है ।... (व्यवधान) इसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी हैं और चिन्तित भी हुई हैं ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपके दिशा-निर्देश के अनुसार विशेषकर 'दिशा' की मीटिंग में सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं।... (व्यवधान) अगर कोई चुनौती है, उसके समाधान के लिए यदि भारत सरकार की मदद की जरूरत है अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है तो वह सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं।... (व्यवधान)

महोदय, जहाँ तक सांसद महोदय ने नारी अदालत का विषय पूछा है, वह भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा।... (व्यवधान) मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरेन रिजीजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है।... (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून, 2021 को जारी की गई थी, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है।... (व्यवधान) उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री जी यह बताएं कि कौन-कौन से राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और कौन-कौन से राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? ... (व्यवधान) अगर इन गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है तो उन राज्य सरकारों के ऊपर, हमारे केन्द्र सरकार की जो 50 फीसदी हिस्सेदारी है, उन राज्य सरकारों के ऊपर हम क्या कार्रवाई करेंगे? ... (व्यवधान)

महोदय, इसके साथ ही कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन करने वाले ऐसे पुरुष अब नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ... (व्यवधान) ऐसे बच्चों के लिए जो कोरोना के इस पीरियड में अनाथ हो गए हैं, क्या उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है? ... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : महोदय, मैं प्रफुल्लित हूँ कि सांसद महोदया ने यह प्रश्न किया । ... (व्यवधान) चूँकि यह प्रश्न महिला शक्ति केन्द्र का था, लेकिन उन्होंने पूरे मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी माँग डाली है ।... (व्यवधान)

महोदय, यह विषय गाइडलाइन का है, लेकिन यह गाइडलाइन जून में नहीं, बल्कि 13 जनवरी, 2021 को प्रेषित की गई थी ।... (व्यवधान) हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण, आईसीडीएस और आँगनबाड़ी के संदर्भ में आग्रह किया कि आप जीएफआर रूल्स, विजिलेन्स रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैण्डर्ड्स का इस्तेमाल हो, एफएसएसएआई के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो ।... (व्यवधान) हमने एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया है ।... (व्यवधान) राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वे अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उनके अंतर्गत काम करें ।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर उनके जिले में 13 जनवरी, 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वे मेरे विभाग को सूचित करें, ताकि हम वह विषय संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें ।... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में जानकारी दी है ।... (व्यवधान) मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस 'मिशन शक्ति केन्द्र' के माध्यम से 20 लाख रुपये तक के कोलैटरल लोन्स महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए किया है ।... (व्यवधान) करीब 66 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए भी 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं । निश्चित रूप से मैं सबसे पहले इस कदम के लिए अपनी केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ ।... (व्यवधान)

जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पोषण-2 के बारे में भी हम लोग 'दिशा' कमेटी की बात करेंगे ।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आठ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं,... (व्यवधान) उन आठ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अब महिला मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित हुए हैं । उन आठ ब्लॉक्स में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती हैं । इन केन्द्रों को मिशन-2 के साथ और इनमें कौन-से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ ।... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : महोदय, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, उसमें इन्होंने निश्चित रूप से लिमिटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी माँगी है ।... (व्यवधान) महिला शक्ति केन्द्र की स्कीम को डिस्कन्टिन्यू करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इसकी एक जियोग्रैफिकल लिमिटेशन थी ।

हमारा यह संकल्प है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार देश के हर जिले में अपना कार्यक्रम चलाये ।... (व्यवधान) इसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत हम हर जिले के प्रशासन को जो-जो हैंड्स ऑन डेब्ट चाहिए, चाहे वह टेक्निकल लोन हो, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हों, ये सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं ।... (व्यवधान)

महोदय, यह भी कहना उचित होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण मात्र मेरे मंत्रालय तक सीमित नहीं है । आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रश्न किया, आपकी जो कमेटीज फंक्शनल होनी चाहिए, वे हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल हैं ।... (व्यवधान) भारत सरकार ने अब तक जन-धन योजना के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख महिलाओं का बैंक खाता खोला । आर्थिक

सशक्तीकरण की दृष्टि से वह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल रही।... (व्यवधान) स्टैंड अप इण्डिया में एक करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है, उसमें भारत सरकार ने जब विशेष महिलाओं की बात की, तो 81 प्रतिशत लोन्स 'स्टैंड अप इण्डिया' में महिलाओं को गए।... (व्यवधान)

मुद्रा योजना का जो एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधान मंत्री जी ने लिया, उसके माध्यम से देश में 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा योजना का लाभ मिला। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया।... (व्यवधान)

स्पीकर साहब, आप बार-बार इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।... (व्यवधान) यही मंशा माननीय प्रधान मंत्री जी की रही है। वर्ष 2019-20 में मनरेगा में 104 करोड़ पर्सन डेज से ज्यादा का काम मात्र और मात्र देश की महिलाओं ने किया।... (व्यवधान) महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण मोदी सरकार का एक सामूहिक संकल्प है, जिसमें हर विभाग, हर मंत्रालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं यह बोलना चाहता हूँ, फिर से अपील करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) आईटी मिनिस्टर, श्री अश्वनी वैष्णव जी ने दोनों हाउस में डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है।... (व्यवधान) नॉन-इश्यू को इश्यू बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रही है। There are other important issues. There are many other people-related important issues. जनता से जो सम्बन्धित विषय हैं, बीएसी में जो तय होता है, उस पर भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।... (व्यवधान) बिल भी बहुत इंपोर्टेंट है। सरकार भी यह नहीं चाहती है कि बिना चर्चा वह पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है।... (व्यवधान) We do not want to pass the Bill without a discussion. As I have already told you,

there are many issues which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issues and give suggestions. ... (*Interruptions*)

The Government is ready for a discussion but most unfortunately, they are not allowing the Parliament to run. The Question Hour is the right of the Members. More than 350 Members want the Question Hour to run. In spite of that, it is unfortunate if they behave like this. ... (*Interruptions*)

I once again appeal to you. Like we decided in the first meeting of the BAC, under your leadership, guidance and suggestions, the Government is ready for a discussion. The Minister of IT has given a detailed statement. This is totally a non-issue and a non-serious issue also. Kindly allow the House to function.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 162

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी ।

(Q. 162)

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY: Sir, are there any ongoing trials or scientific studies regarding the safety of AYUSH-64 in cases of pregnant or lactating women? If so, what are the details thereof?... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य गिरीश जी, यह गलत है। ऐसा नहीं करते हैं।

... (व्यवधान)

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY: Sir, has the Government any plan to introduce and promote AYUSH-64 internationally through platforms such as BRICS Cooperation in Traditional Medicines? If so, what are the details thereof? ... (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Mr. Speaker, Sir, whatever question the hon. Member has raised, in reply, I would like to let him know that all these are being taken up for scientific studies and research by the Department ... (*Interruptions*)

Now, this is confirmed that AYUSH-64 is one of the most important medicines which can protect human life and even during the COVID-19 pandemic, whatever experiment has already been conducted, it has been proved that it is beneficial for the human health ... (*Interruptions*)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR : Hon. Speaker, Sir, thank you very much ... (*Interruptions*). This is my supplementary question ... (*Interruptions*) I would like to know whether it is a fact that the usage of AYUSH-64 formulation has shown an early recovery and shortened the duration of hospital stay, etc. If so, the details thereof ... (*Interruptions*)

I would like to know whether it is a fact that there are still bottlenecks in production and distribution of AYUSH-64. ... (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, now it has been proved that the persons who are suffering from Coronavirus with mild and moderate symptoms and who are asymptomatic, whoever has consumed this particular AYUSH-64 medicine, has got relief ... (*Interruptions*). So, this is already scientifically proved ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 163

श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी ।

... (व्यवधान)

(Q. 163)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Sir, through yourself, I would like to ask the hon. Minister ... (*Interruptions*) As we all know that degradation of land has an adverse impact on biodiversity and studies have shown that we lose almost 24,000 species globally every year because of this degradation of land ... (*Interruptions*)

So, I want to know from the hon. Minister, whether the Government conducted any research or any studies to quantify the number of bio diversified species we are losing every year? ... (*Interruptions*)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्पेस अप्लीकेशन सेंटर द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाता है। ... (व्यवधान) एक तरह से यह अनुमान किया गया है कि 96 मिलियन हेक्टेयर जमीन, भूमि क्षरण और रेगिस्तानीकरण के कारण उत्पादक क्षमता प्रभावित हुई है। ... (व्यवधान) इस समस्या का सबसे बड़ा कारण भूमि की उत्पादकता में कमी, वॉटर इरोजन, वॉटर लॉगिंग और इसके साथ-साथ भूमि का खारापन भी है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इस बात को तय किया था कि देश में 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को वर्ष 2030 तक सुधारेंगे। ... (व्यवधान) इसे लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की एक अंतर-मंत्रालयी सचिवों की एक समिति बनाई गई है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसके लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य महोदय ने स्पेसिफिक पूछा है कि क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, कम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज किए और चलाए जा रहे हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनैबल एग्रीकल्चर, उसके साथ ही जलशक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, पीएमकेएसवाई कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट प्रोग्राम और फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा पीएमकेएसवाई इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज द्वारा द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा अटल मिशन एंड रिज्युविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट मिशन प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा द ग्रीन हाईवे पॉलिसी, इन सबकी समन्वित सचिवों की बैठक भी हुई है। पिछली बार भी बैठक हो चुकी है और समन्वित रूप से सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2030 तक 26 लाख मिलियन हेक्टेयर जमीन को डिग्रेडेशन से बचाया जाएगा। इसके लिए समन्वित रूप से कार्य हो रहा है। ... (व्यवधान)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Sir, I would like to point out that the Minister is talking about protecting the degraded land. ... (*Interruptions*) I am talking about bio-species loss. ... (*Interruptions*) I want to know specifically whether there has been any study which has quantified the bio-species loss because of degradation of land. ... (*Interruptions*) All the schemes that the Minister is talking about is for protection of inland, whereas I am talking about wetlands. ... (*Interruptions*) These

wetlands act as carbon sinks. ... (*Interruptions*) So, I would like to know what steps the Government is taking to protect wetlands in the country. ... (*Interruptions*)

Sir, my previous question also has not been answered. ... (*Interruptions*) I asked about the loss of bio-species in the country. Is there any study which has quantified it? ... (*Interruptions*)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष जी, यह सच है कि जब किसी भी भूमि का डिग्रेडेशन होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जैव विविधता वाली जैव प्रजातियां भी समाप्त होती हैं। जमीन के लिए विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, व उसकी उर्वर क्षमता और उसकी जैव विविध प्रजातियों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जैव विविधता बचाने के लिए इस प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी सरकार कुछ विषयों पर विचार करके इसे पूरी तत्परता के साथ लागू कर रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, प्रश्न संख्या 164

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

(Q.164)

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) :

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 165, डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा ।

(Q.165)

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, वाइटल ऑर्गन डोनेशन और वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है । ... (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगा, इसमें लोगों की बात है, आम आदमी की बात है, इसे ज़रा सुनें । ... (व्यवधान) पांच लाख के करीब लोगों को हर साल वाइटल ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं इसलिए हर साल पांच लाख लोगों की डैथ हो जाती है ।

इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाइटल ऑर्गन्स डोनेट करें । लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मुहिम है, ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल के पाठ्यक्रम से शुरू हो जाए ताकि बच्चों को पता चल सके कि लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, वाइटल ऑर्गन्स डोनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? स्कूल से लेकर कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन्स में यह होना चाहिए । इसमें कई तरह के अंधविश्वास हैं, जब ऑर्गन्स के डोनेशन की बात आती है । मैं कहना चाहता हूं कि हर धर्म की धार्मिक संस्था, धार्मिक गुरु और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इससे जुड़कर लोगों को जागरूक करें ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या स्कूल के पाठ्यक्रमों में लोगों और बच्चों की अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम को जोड़ेंगे?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । ... (व्यवधान) ऑर्गन डोनेशन का जो विषय है, वर्तमान समय में जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस का उपयोग लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए हो, उस दिशा में दुनिया में बहुत कुछ कार्य हुए हैं । इंडिया में भी उसके ऊपर कार्य चल रहा है । खासकर, हम

ऑर्गन के संदर्भ में बात करें, तो हमारे यहां किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन और पैक्रियाज जैसे ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए और ये ऑर्गन्स लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए, भारत सरकार की ओर से नेशनल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जाता है। ... (व्यवधान) इस प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल और स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज गठित की गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है और रीजनल व्यवस्था भी की गई है। इसके माध्यम से व्यापक पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक वेबसाइट भी क्रिएट की गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से जिनको ऑर्गन चाहिए वे उसमें एंट्री करते हैं और जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, वे भी इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ... (व्यवधान) दुनिया के सापेक्ष में इंडिया में अभी आर्गन ट्रांसप्लांट का रेश्यो बहुत कम है। लेकिन वह बढ़े, उसके लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए एक टॉल फ्री नम्बर भी बनाया गया है। उसके लिए व्यापक तौर पर कई प्रकार के एनजीओज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रयास करते हैं। जनता के बीच में व्यापक पब्लिक अवेयरनेस हो और उस अवेयरनेस का लाभ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको मिले, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। ... (व्यवधान)

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो गरीब आदमी और बिलो पॉवर्टी लाइन है, वह इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ... (व्यवधान) प्राइवेट इंस्टिट्यूशन्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था के लिए, जैसे कोविड महामारी के सेकेंड फेज में हरियाणा में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक रेट की गाइडलाइन्स तय कर दी थी। वह रेट लिस्ट रिसपेशन पर लगाई गई थी। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अनाप-शनाप रेट लेते हैं, कोई पांच लाख रुपये, कोई दस लाख रुपये, कोई पन्द्रह लाख रुपये और कोई बीस लाख रुपये, जो किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और वाइटल ऑर्गेन्स के लिए लेते हैं, क्या माननीय

मंत्री जी ऐसा कुछ करेंगे, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट्स तय हो जाएं? ... (व्यवधान) क्योंकि, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 'आयुष्मान योजना' और 'आरोग्य निधि' के अलावा कई ऐसी योजनाएं चलाई, जो गरीब आदमी की पहुंच तक हैं। लेकिन, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनके रेट्स तय होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। 'अंगदान, महादान' के लिए क्या कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी लागू हो? ... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि अंगदान ही महादान है। अंगदान करना, अंगदान में सहयोगी होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे गरीब लोग, जो ज्यादा खर्च वहन न कर सकते हों, उनको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले और उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सके, ऐसी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। ... (व्यवधान) इसलिए, कहीं भी यदि किडनी, लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन होता है, उसमें प्रधान मंत्री राहत कोष से भी सहायता मिलती है। मैंने आयुष्मान भारत के बारे में बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना' इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि इसके माध्यम से देश की दस करोड़ फैमिलीज यानी पचास करोड़ लोगों को साल में पांच लाख रुपये तक मुफ्त ट्रीटमेंट और मुफ्त ऑपरेशन के लिए सहायता दी जाती है। यह एक बहुत बड़ी योजना है। हिन्दुस्तान में यह आदत नहीं रही है। अमेरिका में दस करोड़ लोगों के लिए एक योजना बनी थी, जो 'ओबामा केयर योजना' के नाम से जाती थी। वह पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई थी। हमारी योजना उससे पांच गुना बड़ी है। इस योजना से गरीब लोगों को बहुत सुविधा और राहत मिल रही है। आज तक कई गरीब आदमी उस योजना का लाभ ले चुके हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। इस तरह से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले और ऑपरेशन की सुविधा मिले, उस दिशा में भारत सरकार कटिबद्धता से काम कर रही है। ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया: अध्यक्ष महोदय, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त सारे शस्त्र समाप्त हो गए थे। ...(व्यवधान) देवता लोग दधीचि ऋषि के पास मदद मांगने के लिए गए थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए उनसे उनका मेरुदंड दान में मांगा था, जिसे हमारी संस्कृति और सभ्यता में महादान माना गया है। ...(व्यवधान) हमारे यहां पर अंगदान के सारे प्रयोजन और प्राधिकार बने हुए हैं। ...(व्यवधान) किंतु अभी भी जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके परिवार वाले उसका अंगदान करना चाहते हैं, लंग्स देना चाहते हैं, किडनी या आंख या हार्ट या फिर लीवर डोनेट करना चाहते हैं, तो उसको कम समय में सही जगह पहुंचाने की व्यवस्था के लिए ग्रीन कॉरिडोर और हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत पड़ती है। ...(व्यवधान)

लेकिन अभी तक हमारे देश में उसके लिए ऐसी कोई भी हेलीकॉप्टर सर्विस नियुक्त नहीं हुई है। ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि इतने बड़े देश में ऐसी योजना को पूरा रूप देने के लिए, इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस विथ डॉक्टर एंड पैरामैडिक्स तैयार रहना चाहिए, जिसके माध्यम से उन चीजों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। ...(व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक्सीडेंट होता है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ...(व्यवधान) भारत सरकार की हाइवे मिनिस्ट्री के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी नेशनल हाइवेज हैं, अगर वहां कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीकी अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए 50,000 फ्री किट ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। ...(व्यवधान) सभी टोल प्लाजों पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जहां कहीं से भी कॉल के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो तुरंत ही वहां पर मेडिकल वैन (एम्बुलेंस वैन) पहुंच जाती है और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में कई लोग अपने ऑर्गन डोनेशन की भी बात करते

हैं। उस स्थिति में वहां से उनका ऑर्गन डोनेट किया जा सके, उसके लिए कोशिश हो रही है और व्यवस्था बनाई जा रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ... (व्यवधान)
पिछले 6-7 सालों में जो प्रयास हुए हैं, पिछले साल हेल्थ बजट भी लगभग ढाई गुना बढ़ाया गया है।
... (व्यवधान) इस पूरे बजट का उपयोग करके आगे आने वाले दिनों में देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा और व्यवस्थित बन सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीष तिवारी जी, आपने एक चिट्ठी लिखी थी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.166 to 180
Unstarred Question Nos.1841 to 2070)
(Page No.27 to 782)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

12.0 ½ hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Benny Behanan, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

... (व्यवधान)

12.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे – आइटम 2 से 5.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4417/17/21]

- (3) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4418/17/21]

- (5) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4419/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ) जो 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शक्तियों और कृत्यों के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के नाम से एक निकाय का गठन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4420/17/21]

- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4259(अ) जो 27 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित संघटन के साथ 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ समिति' के गठन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4421/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4422/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एफएंडवीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएसआई-2018 में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो 29 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/27/2010-एफएसएसएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 19 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2020 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4424/17/21]

...(व्यवधान)

12.01 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th July, 2021 agreed without any amendment to the Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th July, 2021”

... (*Interruptions*)

12.02 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

23rd Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pralhad Joshi, I rise to present the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee.

... (*Interruptions*)

12.02 ¼ hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

1st to 3rd Reports

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): सभापति महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

... (व्यवधान)

12.02 ½ hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 344th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Chairperson Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 344th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4416/17/21.

12.03 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN**

RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your kind permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of August, 2021 may consist of:-

1. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2021 (No. 4 of 2021) promulgated by the President of India on 13th April, 2021 and consideration and passing of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021.
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Essential Defence Services Ordinance, 2021 (No. 7 of 2021) promulgated by the President of India on 30th June, 2021 and consideration and passing of the Essential Defence Services Bill, 2021.

3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (No. 2 of 2021) promulgated by the President of India on 4th April, 2021 and consideration and passing of the Tribunals Reforms Bill, 2021.
4. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-
 1. The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021.
 2. The Central Universities (Amendment) Bill, 2021.
 3. Consideration and passing of the following Bills *after they are passed by Rajya Sabha*:-
 1. The Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021.
 2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Bill, 2021
 3. The Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021.
 4. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021

... (Interruptions)

12.05 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

**(i) Commission for Air Quality Management in National Capital
Region and Adjoining Areas Bill, 2021***

HON. CHAIRPERSON : Item No.11, Shri Bhupender Yadav.

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND
MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV):**

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas for better co-ordination, research, identification and resolution of problems surrounding the air quality index and for matters connected therewith or incidental thereto. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के संबंध में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 30.07.2021.

12.05 ½ hrs**STATEMENT RE: COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS ORDINANCE, 2021***

HON. CHAIRPERSON: Item No.12, Shri Bhupender Yadav Ji.

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND
MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV):**

Sir, I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2021 (No.4 of 2021).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4416 A/17/21.

12.06 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced ...Contd.
(ii) General Insurance Business (Nationalisation)
Amendment Bill, 2021*

HON. CHAIRPERSON: Item No.13 – Shrimati Nirmala Sitharaman

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran.

... (*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 30.07.2021.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the House is not in order. I strongly oppose the Bill. But unfortunately, the House is not in order. Since this is total privatisation of the general insurance company, this cannot be accepted and this cannot be allowed. ... *(Interruptions)* The Bill is vague, indefinite, ambiguous, and it is not in consonance with the original Act also. If we examine the Act of 1972, that is total nationalisation but here it is total privatisation. Therefore, I strongly oppose the Bill. ... *(Interruptions)*

I urge upon the Government to withdraw the Bill. Also, during the pandemonium, I am not able to substantiate my case because the House is not in order. Such an important Bill like this privatisation of general insurance company is being introduced in the House when the House is not in order. ... *(Interruptions)* Most of the Members are in the Well. So, it is not proper, as far as the Government is concerned, to introduce such a Bill. So, the introduction of the Bill may be deferred. That is my submission, and I strongly oppose it. ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh.

... *(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, since the House is not in order, I appeal to the hon. Finance Minister to withdraw this Bill.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray Ji.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden, he is in the Well.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, शुरू के दिन से हम यह मांग करते आ रहे हैं कि हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पेगासस जासूसी काण्ड पर चर्चा शुरू की जाए।
...(व्यवधान) हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह सरकार क्यों डरती है? पेगासस जासूसी काण्ड के बारे में चर्चा हो। ...
(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री संतोख सिंह चौधरी, केवल बिल के बारे में बोलिए।

... (*Interruptions*)

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY (JALANDHAR): Sir, the House is not in order. It is a very important Bill. Also, it is a very dangerous Bill. इससे ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज को फॉरेन हाथों में देना चाहते हैं और वेलफेयर ऑफ इंश्योरेंस को खत्म करना चाहते हैं।

सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इसको विदड़ों किया जाए। ...

(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ रिस्पांड करना चाहती हैं?

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I heard keenly the observations being made by hon. Member Shri N.K. Premachandran and also the other Members. ...

(*Interruptions*) Yes, I also wish that the House is in order. Yes, I also wish that the House discusses this Bill. I also wish that the Members, understanding the importance of a Bill of this nature, also participate in the debate. ... (*Interruptions*)

However, I still like to say that the apprehensions mentioned by the Members are not well-founded at all. What we are trying to do in this is not to privatise it. ... (*Interruptions*) We are certainly bringing some enabling provisions so that the Government can bring in public participation, Indian citizens' participation, the common people's participation in the general insurance company. Public-private participation in general insurance is only going to help us by getting more resources.

Now, why do we want to raise these resources from our market?
(Interruptions) Our markets can raise money from the retail participants who are Indian citizens. Through that, we can have greater supply of money, bring in greater inclusion of technology, and also enable faster growth of such general insurance companies in India.(Interruptions) We need money to run them. The Government not allowing public participation, meaning Indian citizens' participation, is restricting availability of money for these companies. Therefore, we need to have this Bill passed.(Interruptions)

If you compare general insurance companies in the private sector, they have greater penetration, they raise more money from the markets and therefore, give a better premium for their insuring public.(Interruptions) They also have better innovative packages for the public, whereas the public general insurance companies are not able to perform because they are always short of resources. So, I strongly request that the House takes this up and considers to pass this.(Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

... (व्यवधान)

12.12 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम **377** के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

(i)Regarding Pradhan Mantri Gramin Awas Yojna in Udaipur Lok Sabha Constituency, Rajasthan

SHRI ARJUNLAL MEENA (UDAIPUR): Regarding Pradhan Mantri Gramin Awas Yojna in Udaipur Lok Sabha Constituency, Rajasthan.

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to transfer 'Asthi Kalash' of Lord Buddha from National Museum, Delhi to National Museum, Kapilvastu in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also set up a Meditation centre at Kapilvastu for Buddhist pilgrims

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): हमारे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के पिपरहवा कपिलवस्तु में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान गौतम बुद्ध के अस्थिकलश रखे जाने की मांग को उठाते हुए कहना हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में बौद्ध धर्म के मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष कपिलवस्तु आने में अपना सौभाग्य मानते हैं। कपिलवस्तु में पर्यटक आने के बाद वहाँ के इतिहास को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पिपरहवा कपिलवस्तु में की हैं। उसके अंतर्गत कपिलवस्तु में Department of Archaeology एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के समस्त खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन यहाँ से खुदाई में प्राप्त दो अस्थिकलश वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए है, जबकि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रारम्भिक 29 वर्ष कपिलवस्तु में ही व्यतीत किये थे। इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए कपिलवस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि एक अस्थिकलश वहाँ से राष्ट्रीय संग्रहालय पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थित कर दिया जाय तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं श्रावस्ती के साथ साथ अस्थिकलश के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे जिससे देश एवं प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा से राजस्व में वृद्धि होगी। ध्यान लगाना बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय के पास एक ध्यान केंद्र होना भी आवश्यक है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक अस्थिकलश राष्ट्रीय संग्रहालय कपिलवस्तु में उपलब्ध करने हेतु

भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित करें और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक ध्यान केंद्र की स्थापना करवाने की कृप्या करें।

(iii) Regarding supply of 'Chana' to Aanganwadi Centres in Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हू कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगभग 10 महीने पहले असहाय गराब एवं जरूरतमंदों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19963 मीट्रिक टन और आत्मनिर्भर योजना में 3970 मीट्रिक टन साबुत चना दिया था और इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड-धारियों को भी एक-एक किलो चना दिया गया था।

राजस्थान में पिछले लॉकडाउन में केन्द्र सरकार की ओर से भेजे गए चने को अब तक भी नहीं बांटा गया है और जब इस चने को 10 माह के बाद राजस्थान में लगभग 15 जिलों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ऐसे चने बांटने का आदेश जारी किया है, जिन्हें जानवर भी नहीं खा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 महीने तक यह चना राशन डीलरों के गोदामों में पड़ा था। जब वह खाने योग्य नहीं रहा उस चने को बांटा जा रहा है।

आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम पर ऊपर से ही यही चना बांटने का दबाव है। राजस्थान के तमाम समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है।

मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस मामले में जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो साथ ही आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच कराई जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम छोर तक निवास करने वाले हर जरूरतमंद तक पहुंचे।

**(iv) Regarding setting up of saline water treatment plant
in Balasore, Odisha**

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Balasore in the state of Odisha has been adversely affected by recurrent flood and cyclone, which impinge on the availability of potable water to the affected habitats in the sea adjoining areas. Inundation of sea water resulting in water logging for days during cyclone and flood period aggravates the drinking water problem as the water bodies including wells/tube wells water source become saline.

There is imperative need for treatment of saline water to provide drinking water facility to the coastal habitats in the district of Balasore. I urge upon the Jal Shakti Ministry to undertake a survey and put in place saline water treatment plant in Balasore coast in the larger public interest.

(v)Need to start operation of COT plant set up in Malajkhand in Balaghat district, Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत मलाजखण्ड में HCL (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड) की कॉपर की खुली खदान विगत 50-60 वर्षों से संचालित है । खदान से कॉपर के साथ निकालने वाली अन्य धातुओं को पृथक-2 करने हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से एक निजी कंपनी द्वारा लगभग 10 वर्षों में COT Plant लगाया गया है परंतु आज दिनांक तक इस प्लांट के चालू न होने से प्लांट से जो भी अन्य धातु जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि को पृथक-पृथक करने का काम होना था वह नहीं हो पा रहा है इससे जहां शासन का करोड़ों रुपये की लागत से बना प्लांट बेकार पड़ा है वहीं प्लांट के चालू न होने से शासन को आर्थिक क्षति हो रही है । इस प्लांट के लगने से मजदूरों और अन्य लोगों को जो काम मिलना था वह बंद है । इस प्लांट के जैसा एक और प्लांट शायद राजस्थान में भी लगा है वह भी बंद है, इसमें भारी अनियमितताओं के होने की आशंका लगती है एवं जानबूझकर शासन का नुकसान कर अन्य लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । अतः इस संबंध में पूर्ण जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करने के लिए माननीय खान मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

(vi) Regarding certain colonies of Delhi facing the threat of demolition

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार एवं विशेषतः माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान दिल्ली के कुछ निवासियों की गंभीर समस्याओं की तरफ केन्द्रित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेकों गाँव स्थित हैं, गाँव के आसपास गाँववासियों की निजी कृषि भूमि स्थित थी। बढ़ते परिवार के कारण गाँववासियों ने अपनी निजी कृषि भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व में कौड़ियों के भाव में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था। वहीं अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार के लिए अनेकों राज्यों से पलायन होने से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसका गठन दिल्ली में सस्ते दामों पर आवास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, वह पूर्व में व्यवसायिक संस्था के रूप में काम कर रही थी। इन्हीं कारणों से निजी कॉलोनाइजर के द्वारा हजारों अनधिकृत कॉलोनियाँ विकसित हो गई। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे अनेकों अनियमित कॉलोनियाँ विकसित हुई थी। वर्ष 1994 में दिनांक 24.05.1994 को दिल्ली सरकार द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें रिज की भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 26 वर्षों बाद भी आज तक धारा 20 नहीं लायी गयी।

अत्यंत दुख का विषय है कि अधिसूचना जारी करते वक्त अधिकारियों द्वारा सही रूप से सर्वे नहीं किया गया जिसके कारण कई गाँव व कॉलोनियों में 40 वर्षों से स्थित सैंकड़ों घर भी अधिसूचना में डाल दिए गए। वे सभी लोग अधिसूचना के 20 वर्ष पूर्व से वहां रह रहे हैं। सही डिमार्केशन न होने के कारण आज उनका घर दिल्ली रिज में आ गया है। वहाँ के निवासियों को दिल्ली सरकार द्वारा अतिक्रमण बताकर उनके घर तोड़ने का आदेश किया जा रहा है। आज वहां के निवासी भय के वातावरण में रह रहे हैं। एक तरफ जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को घर की व्यवस्था

सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के आधार पर सैकड़ों घरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

मेरा माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से यह आग्रह है कि वह माननीय एल.जी. साहब को निर्देश दें कि वे शीघ्र एक विशेष कमेटी का गठन कर सही डिमार्केशन करें एवं निजी भूमि पर स्थित मकानों की सुरक्षा की जाए। उन सभी घरों को दिल्ली रिज की सीमा से बाहर किया जाए।

(vii) Regarding development of Ambala as a warehousing hub

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I would like to draw the attention of Hon"ble food and PDS minister towards the fact that as GST unifies market, my Ambala Lok Sabha constituency has a great potential to set up a Majestic warehousing hub. Ambala is well connected to 0.1. Road and has best Railway facilities and international airport at Mohali.

A huge investment infrastructure may play a significant role as large planned Investments such as Dedicated Freight Corridors (DFCs) in road, rails and Airways across India will bolster trade and consequently raise warehousing demand. Investment in infrastructure in Ambala will reduce the pressure on Delhi and NCR region. For eg: Kalka in my Lok Sabha constituency is the Gateway to Himachal Pradesh and all the fruits and vegetables are supplied to Delhi from here. If Ambala will be the warehousing hub then we can prevent rotting of fruits and vegetables.

This warehousing hub may include a hub from Yamunanagar to Ambala, Panchkula to Ambala, Chandigarh to Ambala, Patiala to Ambala. Ambala is also a Centre place on 01 Road for Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Western UP. as the price of land is going up in Delhi and NCR region, it is very difficult to set up Infrastructure in this region.

As consumption led demand for warehousing is likely to grow at faster pace, the advent of Electronic retailing (e-tail) in the past few years has necessitated the need for huge warehouses close to Urban centres in order to deliver in the shortest possible time.

Leading E-Commerce players in India and players such as Amazon, Flipkart and Snapdeal have been expanding their network of warehouse or fulfilment centres to speed up their delivery and stay ahead of the competition.

I, therefore, demand to make Ambala a warehousing hub.

(viii)Need to shift headquarters of National Mineral Development Corporation Limited from Hyderabad to Bastar in Chhattisgarh

श्री दीपक बैज: देश के सर्वाधिक खनिज संपदा वाले छत्तीसगढ़ के (दंतेवाड़ा) बस्तर जिले से करोड़ों-अरबों रुपये का आयरन उत्खनन होता है। भारत सरकार का उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) लिमिटेड देश में सबसे अधिक लाभ यहीं से अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस उपक्रम के लिए जमीन और वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिसकी उसे आवश्यकता रहती है।

आवागमन कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर आजादी के बाद इस उपक्रम का मुख्यालय हैदराबाद बनाया गया था पर अब बस्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उपक्रम का मुख्यालय बस्तर स्थानांतरित करने हेतु स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग चली आ रही है क्योंकि उनके दैनिक कार्यों हेतु उन्हें दूरस्थ हैदराबाद जाना पड़ता है।

मेरी मांग है कि एनएमडीसी लिमिटेड का हैदराबाद स्थित मुख्यालय (दंतेवाड़ा) बस्तर जिले में जनहित में स्थानांतरित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को अपने कार्यों के लिए हैदराबाद न जाना पड़े।

**(ix) Regarding provision of FTTH connections for online classes in
Attappadi, Palakkad district in Kerala**

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Attappadi is a taluk in Palakkad district in Kerala and majority of people living there are tribals. It is mostly a hilly region, lacking communication facilities. The students are facing a lot of difficulties in attending online classes owing to poor or equal to nil mobile/internet connectivity in Attappadi. About 80 per cent students of this taluk are missing online classes regularly because of poor mobile or internet connectivity. This issue can be sorted out by providing Fibre to the House (FIH) connections immediately, and thereby, the students can attend online classes uninterruptedly. I have been given to understand that BBNL can provide FTTH connections in Attappadi taluk under the Common Service Centre Wi-Fi Choupal Project funded by the Universal Social Obligation Fund. Therefore, I urge upon the Government to provide FTTH connections in Attappadi on a time bound basis to ensure that the education of students is not affected due to poor mobile connectivity.

(x) Regarding expediting Tindivanam-Tiruvannamalai new broad gauge railway line project work

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I want to raise an urgent matter of public importance regarding speeding up of Tindivanam - Tiruvannamalai new broad gauge railway line project work. The Project would enhance overall area development on account of potential for spiritual tourism as world famous Lord Arunachaleshwar Shiva Temple in Tiruvannamalai attracts domestic as well as international tourists for Darshan of Lord Shiva and Girivalam.

The said project, commenced long back but unfortunately suffered from time-overrun. I request the Government to earmark sufficient fund for the project and approach all the concerned agencies for expediting the project work for timely completion of Tiruvannamalai new broad gauge railway line project.

I earnestly request the Minister for the Railways to take all necessary action to ensure completion of the said project without further delay in the public interest.

(xi) Regarding building up of Dedicated Freight Corridor (DFC) between Kharaghpur (West Bengal) and Vijayawada in Andhra Pradesh

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): As you are aware, the Dedicated Freight Corridors will play an important role in realizing Prime Minister's vision of an Aatmanirbhar Bharat by providing enhanced connectivity of Railway Network, reducing logistics cost as well as increasing freight speed.

As a part of Rs. 1,01,055 crore budget for the railway infrastructure allocated in the Union budget 2021, accepting Indian Railways Proposal (proposed in 2014-2015), Finance Minister has announced in her budget speech that the dedicated freight corridor (DFC) of length 1115 KM on the east-coast between West Bengal's Kharaghpur and Vijayawada in Andhra Pradesh will be completed by June 2022 and electrification of all the freight corridors will be completed by 2023. Unfortunately, due to unknown reasons, it has not yet materialized.

The proposed DFC will connect industrial areas in the eastern and western parts of the country to southern India through major ports like Paradeep, Dhamra, Gopalpur ports in Odisha and Visakhapatnam, Gangavaram, Kakinada, Krishnapatnam and Machilipatnam ports in Andhra Pradesh ensuring faster movement of goods and capacity enhancement in the over-saturated sections of

the railway network and would give a major boost to development of Odisha as well as AP. This will also help in reducing the cost of freight transport as the fuel consumption is reduced and bigger and larger trains can travel on these routes. With four ports being in development in AP, officials previously estimated the DFC would help in handling 300-350 Metric Tonnes of Cargo by 2024-25.

I, therefore, have the honour to put the matter before the Central Government urging it to take steps for speeding up the process of preparing feasibility reports, and the Detailed Project Reports (DPRs) regarding the alignment, land requirement, traffic projections and complete it as soon as possible.

(xii) Regarding ameliorating the condition of Anganwadi workers

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The importance of Anganwadi workers as frontline health workers has increased significantly since the outbreak of the pandemic. Despite the extra burden of work, their salaries have not sufficiently increased to compensate them. This is linked to the fact that these workers are designated as honorary and are provided with monthly honorarium, and hence, are not eligible to avail minimum wages.

Despite India's 7th Pay Commission mandating the monthly wage rate to be fixed at Rs.18,000 for skilled workers, they hardly receive this much. Being frontline workers, they had to conduct surveillance duties to control the pandemic without adequate protective gear since they are categorized as low-risk workers, despite the associated health risks.

Thus, I urge upon the Government to ameliorate their status and provide them minimum wages as applicable to skilled workers.

**(xiii) Regarding Railway services in Shravasti Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के बलरामपुर / श्रावस्ती वासियों के लिए नई ट्रेनों का संचालन, ठहराव किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

1. एक नई इण्टर सिटी एक्सप्रेस गाड़ी लखनऊ सुबह समय 05 बजे से 06 के बीच में गोण्डा वाया बलरामपुर होते हुए गोरखपुर तक एवं बलरामपुर होते हुए सायं 04 बजे से 05 के बीच लखनऊ तक चलाई जाये।
 2. एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जनपद के विभिन्न रेलवे स्टेशन गैसड़ी, कौवापुर, एवं झारखण्डी रेलवे स्टेशन पर किया जाए।
 3. भवरिया क्रासिन पर अण्डर पास मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।
 4. झारखण्डी क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज की स्थापना किया जाए।
 5. बलरामपुर से मुंबई के लिए अप और डाउन एक नई ट्रेन चलाई जाए।
 6. बहराइच, बलरामपुर खलीलाबाद नई रेल लाइन की क्या प्रगति है एवं कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।
-

माननीय सभापति : कृपया आप सब बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए और चर्चा होने दीजिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आज नियम 193 के तहत भी चर्चा है ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, वे विषय आज लिस्टेड हैं । कोरोना पर चर्चा अपेक्षित है । बहुत महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर बहस होनी है ।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please participate in the discussion. Please go back to your seats.

....(Interruptions)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 2 अगस्त, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

12.13 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 2,
2021/Sravana 11, 1943 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.